



13.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(Shakti Bhawan, Lucknow)

संख्या : 1531 - प्रशि. -10/पा.का.लि. /05 / 7 प्रशि. /03 | दिनांक : 24 अक्टूबर 2005

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 2875 पी-2 /2005- चौबीस दि0 20.10.2005 द्वारा सूचित किये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में, उ0प्र0 विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम-03 की अधिसूचना 1184 -पी -124- 03 दि0 09.06.03 के निर्गत होने के कारण कारपोरेशन के पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 - 60-प्र.सं.-10/ पा0का0लि0 /2001 दि0 09.01.2001 द्वारा किये गये आमेलन को अनन्तिम घोषित किया गया था, को समाप्त किया जाता है तथा कार्यालय ज्ञाप सं0- 60-प्र.सं.-10/ पा0का0लि0 /2001 दिनांक 09.01.2001 द्वारा किया गया आमेलन अन्तिम माना जायेगा।

उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.01.2001 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

अध्यक्ष

संख्या : 1531 (I) - प्रशि. -10/पा.का.लि. /05 / 7 प्रशि. /03 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) / (वितरण) / (वित्त) / अधि0 निदेशक (पारे0) / अधि0 निदेशक (वाणि0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्योच्चल- लखनऊ, पश्चिमोच्चल- मेरठ, पूर्वोच्चल- वाराणसी, दक्षिणोच्चल- आगरा, केसको -कानपुर।
6. मुख्यमहाप्रबन्धक (आर0पी0एम0ओ0) / मुख्यमहाप्रबन्धक (पारे0) / महाप्रबन्धक (का0प्र0-02/03) / उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / उपमहाप्रबन्धक (सचि0प्रशा0) / उपमहाप्रबन्धक एवं अध्यक्ष के विशेष सहायक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ विद्युत वितरण निगम लि0।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 / उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0ज0वि0नि0लि0।

आज्ञा से,

(डि० सी० अरोड़ा)

महाप्रबन्धक (का0प्र0 -01)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(Shakti Bhawan, Lucknow)

संख्या : 1582 - प्रशि. -10/पा.का.लि. /05 / 7 प्रशि. /03 दिनांक : 26 अक्टूबर 2005

शुद्धि पत्र

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० : 1531 - प्रशि. -10/पा.का.लि. /05 / 7 प्रशि. /03 दि० 24.10.05 के प्रथम प्रस्तर की अन्तिम लाइन में 'ज्ञाप सं०- 60-प्र.से.-10/पा.का.लि०/2001 दिनांक 09.01.2001 द्वारा किया गया आमेलन अन्तिम माना जायेगा' के स्थान पर 'ज्ञाप सं०- 60-प्र.से.-10/पा.का.लि०/2001 दिनांक 09.01.2001 सपठित 105 -प्र.से. -10 / पा.का.लि० -01 दिनांक 12.01.01 द्वारा किया गया आमेलन अन्तिम माना जायेगा' पढ़ा जाय।

अध्यक्ष

संख्या : 1582 (I) - प्रशि. -10/पा.का.लि. /05 / 7 प्रशि. /03 तद्दिनांक
प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (रुर्जी), उ०प्र० शासन।
2. अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) / (वितरण) / (वित्त) / अधि० निदेशक (पारे०) / अधि० निदेशक (वाणि०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल- लखनऊ, पश्चिमांचल- मेरठ, पूर्वांचल- वाराणसी, दक्षिणांचल- आगरा, केसको -कानपुर।
6. मुख्यमहाप्रबन्धक (आर०पी०एम०ओ०) / मुख्यमहाप्रबन्धक (पारे०) / महाप्रबन्धक (का०प्र०-02/03) / उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / उपमहाप्रबन्धक (सचि०प्रशा०) / उपमहाप्रबन्धक एवं अध्यक्ष के विशेष सहायक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / विद्युत वितरण निगम लि०।
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० / उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०ज०वि०नि०लि०।

आज्ञा से,
(डी० सी० अरोड़ा) 26/10/05
महाप्रबन्धक (का०प्र० -01)